कार्यालयः—मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीतापुर ।

पत्र संख्याः—आई—27(रिटेल आउटलेट) / 2017 दिनांकःफरवरी 10 ,2018

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
सीतापुर ।

विषयः—श्री सन्दीप श्रीवास्तव Territory Manager (UP) द्वारा भूमि खसरा सं0 455 ग्राम—कान्हामऊ परगना बाडी तहसील सिधौली जनपद सीतापुर पर प्रस्तावित बायो फ्यूल ऐमेनिटी सेन्टर (रिटेल आउटलेट) स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या प्रेषित किया जाना।

महोदय,

अपने पत्र संख्याः—बीस—सी0एफ0 / अना0प्र0पत्र / मा0इको0इनर्जी प्रा0लि0—कान्हामऊ / श0अनु0 / 16 दिनांकः 25 जनवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उपरोक्त विषयक है ।

उपरोक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एवं स्थल का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से प्रभारी फायर स्टेशन सिधौली, सीतापुर श्री राम लखन वर्मा द्वारा निरीक्षण कराया गया जिनकी निरीक्षण आख्या दिनांकः 08.02.2018 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

ढॉचागत संरचना के सम्बन्ध में:—

1.प्रस्तावित एमेनिटी सेन्टर (फीलिग स्टेशन) हेतु मानचित्र में रोड की चौडाई 05.60 मीटर अंकित है ।
2.कुल भूखण्ड एरिया—600.00 वर्गमीटर
3.प्रस्तावित ऊँचाई— 06.00 मीटर

अतः प्रभारी अग्निशमन केन्द्र सिधौली, सीतापुर की निरीक्षण आख्या दिनांकः 08.02.2018 पर अंकित संस्तुति के आधार पर श्री सन्दीप श्रीवास्तव Territory Manager (UP) द्वारा भूमि खसरा सं0—455 ग्राम कान्हामऊ परगना—बाडी तहसील सिधौली जनपद सीतापुर पर प्रस्तावित लुब्रीकेन्टस, मोटर एसेसरीज तथा बायोफ्यूल की बिक्री हेतु एमेनिटी सेन्टर (रिटेल आउटलेट पम्प) स्थापित किये जाने की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि आवेदक उपरोक्त स्थल पर रिटेल आउटलेट को स्थापित करने के उपरान्त स्टोर व बिक्री किये जाने के पूर्व निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर लेगा एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी सीतापुर से निम्नांकित निर्देशित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का सत्यापन कराना एवं प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा के अनुपालन न किये जाने यह संस्तुति निर्गमन की तिथि से निरस्त समझी जायेगी।

1.प्रत्येक डिस्पेसिंग युनिट पर 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता 10 के0जी0 का आई0एस0 2190 के अनुरूप अधिष्ठापित किया जायेगा ।
2.जनरेटर हेतु 02 अदद आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्युशर 10 के0जी0क्षमता का रखा जाना आवश्यक होगा ।
3.फायर बकेट सैण्ड 08 अदद राउण्ड बाटम मय स्टैण्ड क्षमता 09 लीटर का अधिष्ठापन आवश्यक होगा ।
4.पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टाक एवं दो बेल्चा रखा जाना आवश्यक होगा ।
5.धूम्रपान निषेध की पटिटका को लगाया जाना आवश्यक होगा ।
6.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर फ्लेम प्रूफ लाइटों का ही प्रयोग किया जायेगा ।
7.जनरेटर का एग्झास्ट पाइप बाहर की ओर रखेंगे तथा एग्झास्ट पाइप में स्पार्क एरेस्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे ।
8.अण्डर ग्राउण्ड एमएस / एचएसडी टैंक की अर्थिंग नियमानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे ।
9.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ.आई.एस.डी.मानकों का एवं पेट्रोलियम व तथा रूल्स का अनुपालन करना होगा ।
10.एमेनिटी सेन्टर कम्पाउण्ड के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर नहीं जाना चाहिये ।
11.निकटतम फायर स्टेशन के दूरभाष नं0 को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा ।
12.दस हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक के साथ 900 एल0पी0एम0 क्षमता का पम्प से संयोजित करके एक अदद फायर हाईड्रेन्ट मय 02 होज पाइप व 01 ब्रांच अथवा एक मानीटर तथा फोम कम्पाउण्ड मय फोम ब्रांच अधिष्ठापित किया जान प्रस्तावित किया जाता है।

(मुकीमुल हक)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
खीरी, लिंक अधिकारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
खीरी
लिंक अधिकारी सीतापुर

27/02/18